कार्यालय कलेक्टर जिला जशपुर एवं पदेन उप सचिव छ.ग. शासन

—:: अधिसूचना ::—

भू – अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 /A-82/15-16 जशपुर दिनांक 08 /02/2016

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कालम (1) से (5) मं दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम (7) मं दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथना आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे उतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सर्वसंबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :–

—:: अनुसूची ::—

1) भूमि का वर्णन :–

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्र0		क्षेत्रफल		धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4		5		6	7
जशपुर	बगीचा	लरंगा प.ह. नं. 10	खसरा नं0	रकबा	खसरा नं0	रकबा	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग जशपुर	मैना लरंगा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर का भू–अर्जन प्रकरण
			241/3	0.053	381/5	0.040		
			331/1	0.142	443/2	0.024		
			248	0.020	446/4	0.073		
			252	0.012	395/1	0.109		
			334	0.097	395/2	0.032		
			327/2	0.057	381/7	0.040		
			331/2	0.044	395/3	0.105		
			415/1	0.069	377/4	0.097		
			409	0.036	394	0.016		
			384/6	0.065	367/1	0.044		
			443/1	0.089	381/4	0.028		
			446/3	0.049	384/7	0.012		
			378/3	0.089				
योग :– कुल खसरा नं0 25 रकबा 1.442 हे0								

2.) यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधान निर्धारण के निष्कर्ष के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3) भूंमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बगीचा के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

4) प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5) प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4–28/सात–1/2014, दिनांक 02 मार्च, 2015 के द्वारा अधिनियम, 2013 के अध्याय ''दो'' एवं ''तीन'' के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

6) प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बगीचा, जिला जशपुर (छ0ग0) को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(हिमशिखर गुप्ता)
कलेक्टर जशपुर एवं पदेन उप सचिव,
छ0ग0 शासन राजस्व विभाग

Court Of Land Acquisition Officer
Jashpur (C.G.)